2) Scientific Secretary, - Department of Space	Member	
3) Nominee of – Member Department of Personnel and Training	Member	
4) One of the Centre – Directors of DOS/ISRO in Level-15	Member	

[No. A. 12012/2/2003-I (Vol.II)]

T. KRISHNAKUMAR, Under Secy.

Place : Bengaluru

Date : June 18, 2018

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.309.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतदद्वारा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रोफेसर, (शर्करा प्रौद्योगिकी), सहायक प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी) तथा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी), सहायक प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी) तथा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रोफेसर, (शर्करा प्रौद्योगिकी), सहायक प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी) तथा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2017 में इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी)	04* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैटिक्स में स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और, लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक:** (क) निम्नलिखित के साथ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या इंजीनियरी में डिग्री। (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में एसोसिएटशिप; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और, (ख) (i) शर्करा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान या सलाहकार का बारह वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी चीनी कारखाने में प्रबंधकीय क्षमता में कार्य करने का बारह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट या शर्करा प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट या शर्करा प्रौद्योगिकी में अध्येतावृति; (ii) वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी से संबंधित रिपोर्टों और समीक्षाओं के प्रारूपण और संपादन का अनुभव। **टिप्पण 1:** अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अहर्ताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधिकोई यदि हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु नहीं। : शैक्षिक अहर्ताएं :हां।	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए) में, दस वर्ष की नियमित सेवा वाले शर्करा प्रौद्योगिकी के ऐसे सहायक प्रोफेसर,
जिन्होंने किसी उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान से 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा
किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा
रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ
व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों
या अर्ध-सरकारी या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने:

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के
पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; या जिन्होंने,

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के
पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी)	2018) *05) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)

(5)	(6)
चयन पद	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और, लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
आवश्यक: (क) निम्नलिखित के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या इंजीनियरी में डिग्री - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में एसोसिएटशिप; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ख) (i) शर्करा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान या सलाहकार का पाँच वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी चीनी कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधकीय क्षमता में कार्य करने का पाँच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट या शर्करा प्रौद्योगिकी में अध्येतावृति; (ii) वैज्ञानिकी या प्रौद्योगिकी से संबंधित रिपोर्टों और समीक्षाओं के प्रारूपण और संपादन का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु नहीं। : शैक्षिक अहर्ताएं :हां।	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	(1) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, जिन्होंने किसी उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान से 2 से 4 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या जिन्होंने, (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो, और जो (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग — अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग — सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —सदस्य **2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि करने पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग — अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग — सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —सदस्य।	सीधी भर्ती करते समय तथा किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है)।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी)	07* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' सचिवीयराजपत्रित, अननु	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
आवश्यक: (क) निम्नलिखित के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या इंजीनियरी में डिग्री:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में एसोसिएटशिप; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ख) (i) शर्करा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान या सलाहकार के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी चीनी कारखाने में प्रबंधकीय क्षमता में कार्य करने का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमएससी (रसायन शास्त्र) या (शर्करा प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री। (ii) वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी से संबंधित रिपोर्टों और समीक्षाओं के प्रारूपण और संपादन में अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: नहीं ।	सीधी भर्ती तथा प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष ।	(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); (ii) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी)।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने;

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या जिन्होंने,

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो, या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो, और जो

(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर -सदस्य (4) निदेशक या उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग – सदस्य **2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि करने पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष (2) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।"

[फा. सं. ए-12018/2/2010-एस ए]
राकेश कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी), सहायक प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी) तथा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी), भर्ती नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 550 (अ) तारीख 30 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R.309.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Technology), Assistant Professor (Sugar Technology) and Junior Technical Officer (Sugar Technology) Recruitment Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Technology), Assistant Professor (Sugar Technology) and Junior Technical Officer (Sugar Technology) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Technology), Assistant Professor (Sugar Technology) and Junior Technical Officer (Sugar Technology) Recruitment Rules, 2017, for the Schedule annexed thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Professor (Sugar Technology)	04* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix. (Rs.1,23,100-2,15,900)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Selection	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District or Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits
(7)
Essential: (A) Degree in Science or Engineering from a recognised University or Institute, with- (i) Associateship in Sugar Technology from a recognised University or Institute; or (ii) Post-graduate Diploma in Sugar Technology from a recognised University or Institute; and (B)(i) twelve years' experience of teaching or research or advisory experience in the field of Sugar Technology; or (ii) twelve years' practical experience of working in a sugar factory in a managerial capacity. **Desirable:** (i) Doctorate in Chemistry or Doctorate in Sugar Technology, or Fellowship in Sugar Technology from a recognised University or Institute; (ii) Experience in drafting and editing of scientific and technological reports and reviews. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age: No. Educational Qualifications: Yes.	One year for direct recruits.	(i) 75 per cent by promotion, failing which by deputation (including short term contract); (ii) 25 per cent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Promotion: Assistant Professor of Sugar Technology with six years' regular service in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in pay matrix having successfully completed 2 to 4 weeks training from the Advanced Training Institute or some other recognised organisation or institute. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by

more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 12 (Rs.78,800-2,09,200) in the pay matrix in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (2) Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution -Chairman (2) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Professor (Sugar Technology).	05 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700).

(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District or Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (A) Degree in Science or Engineering from a recognised University or Institute, with- (i) Associateship in Sugar Technology from a recognised University or Institute; or (ii) Post-graduate Diploma in Sugar Technology from a recognised University or Institute; and (B)(i) five years' experience of teaching or research or advisory experience in the field of Sugar Technology; or (ii) five years' practical experience of working in a supervisory or managerial capacity, in a sugar factory. **Desirable:** (i) Doctorate in Chemistry or Fellowship in Sugar Technology from a recognised University or Institute; (ii) Experience in drafting and editing of scientific and technological reports and reviews. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Age: No; Educational Qualifications: Yes	One year for direct recruits	(i) 80 percent by promotion, failing which by deputation (including short term contract); (ii) 20 percent by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)
Promotion: Junior Technical Officer (Sugar Technology) with five years' regular service in level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix, having successfully completed mandatory training of 2 to 4 weeks from the Advanced Training Institute or some other recognised organisation or institute. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution -Chairman (2) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member **2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution - Chairman (2) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Institute Sugar, Kanpur - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Junior Technical Officer (Sugar Technology).	07 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500).

(5)	(6)
Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District or Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)

Essential:

(a) Degree in Science or Engineering from a recognised University or Institute, with:

(i) Associateship in Sugar Technology from a recognised University or Institute; or

(ii) Post-graduate Diploma in Sugar Technology from a recognised University or Institute; and

(b)(i) three years' experience in teaching or research or advisory experience in the field of Sugar Technology; or

(ii) three years' practical experience of working in a sugar factory in a managerial capacity.

Desirable:

(i) M.Sc. (Chemistry) or Master of Technology (Sugar Technology) from a recognised University or Institute;

(ii) Experience in drafting or editing of scientific and technological reports and reviews.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Age: No. Educational Qualifications: No.	One year for direct recruits and promotees.	(i) 60 percent by promotion, failing which by deputation (including short term contract); (ii) 40 percent by direct recruitment.

(11)

Promotion:

Senior Technical Assistant (Sugar Technology) in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade.

Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutions or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations,

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other

organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (2) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member (4) Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member **2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:-** (1) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Chairman (2) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member (3) Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary."

[F.No. A-12018/2/2010-SA]

RAKESH KUMAR, Under Secy.

Note: The National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Technology), Assistant Professor (Sugar Technology) and Junior Technical Officer (Sugar Technology) Recruitment Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 550(E) dated the 30th May, 2017.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.310(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अभिलेखागार(समूह 'क' और समूह 'ख' पदों की भर्ती) नियम, 1993 के अधिक्रमण में सहायक इंजीनियर के पद और फोरमैन (मैकेनिकल) के पद के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार(समूह 'ग' और समूह 'घ' की भर्ती) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार में सहायक इंजीनियर और फोरमैन (मैकेनिकल) (समूह 'ख' पद) के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, सहायक इंजीनियर और फोरमैन (मैकेनिकल) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।